

कार्यालय आयुक्त,  
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश,  
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या: 218/सी /  
समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 29 मार्च, 2019

**बिषय:** समस्त गन्ना उत्पादक कृषकों को एम. किसान पोर्टल पर जोड़ने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते अवगत कराना है कि, समस्त गन्ना उत्पादक कृषकों का डाटा एकत्रित करते हुए उन्हें एम.-किसान पोर्टल पर जोड़ने के निर्देश आपको दिये गये थे, किन्तु अभी तक समस्त गन्ना उत्पादक कृषकों का डेटा एक्सल शीट के माध्यम से एम-किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है तथा आपके माध्यम से विभिन्न समय पर उपलब्ध कराये गये गन्ना कृषकों की संख्या में भी पर्याप्त अन्तर परिलक्षित हो रहा है, जबकि, एस.एम.एस. पर्ची प्रेषण हेतु समस्त गन्ना उत्पादक कृषकों के मोबाइल नम्बर प्राप्त कर पर्ची निष्कासन हेतु अधिकृत बेण्डर को उपलब्ध कराकर कम्प्यूटर सिस्टम में दर्ज किये जा चुके हैं। दिनांक 26.03.2019 को मासिक समीक्षा बैठक में आपको निर्देशित किया गया है कि, समस्त गन्ना उत्पादक कृषकों का डेटा मोबाइल नम्बर सहित निर्धारित एक्सल शीट पर तैयार कराकर 07 अप्रैल, 2019 तक एम-किसान पोर्टल पर अपलोड कराते हुए अपलोड की गयी एक्सल शीट एक प्रति ई-मेल [ysmalik99@gmail.com](mailto:ysmalik99@gmail.com) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि, पर्ची निष्कासन हेतु अधिकृत बेण्डर का भुगतान प्रति कृषक के आधार पर किया जाना है। तदक्रम में निर्देशित किया जाता है कि, पर्ची निष्कासन हेतु अधिकृत बेण्डर को उतने ही कृषकों का भुगतान किया जाय जिनका डाटा उक्तानुसार एम-किसान पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हो। यदि एम-किसान पोर्टल पर अपलोड किये गये कृषकों से अधिक कृषक संख्या के आधार पर भुगतान बेण्डर को किया जाता है तो, इसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही 07 अप्रैल, 2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्तानुसार कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता परिलक्षित होती है तो, आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)  
आयुक्त,  
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्या: / सी /

तददिनांक-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना समितियां, उ.प्र.।

(वाई.एस.मलिक)  
अपर गन्ना आयुक्त,  
मुख्यालय।